न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–139/23 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/159)

1. जुबेर पुत्र नाथ्या जाति लुहार निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती जुम्मरत पत्नी जुबेर जाति लुहार निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजाराम पुत्र बदरी मीना
2. जमनालाल पुत्र भजन मीना जातियान मीना निवासीयान पीलवा नदी मीना ढाणी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.03.2012 न्यायालय अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर बउनवानी राजाराम वगैराह बनाम जुबेर वगैराह प्रार्थना संख्या 10/2011

उपस्थितिः–

श्री आर.एस.जोगी वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आवंटन नियम 1970 के निमय 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 06.06.2002 को ग्राम पीलवानदी के खसरा नंबर 536/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.06.2002 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा जाति से लुहार है। अपीलान्ट ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर का स्थायी निवासी है तथा भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पीलवानदी के खसरा नंबर 536/1 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक पर 40 वर्षों से कब्जा होने के आधार पर सर्वसम्मति से आवंटन/नियमन किया गया था। आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 को पारित करने से पूर्व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया और न ही पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ही भलीभांति परीक्षण किया। रैस्पोडेन्टस का आराजी खसरा नंबर 536/1 से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वरन् उक्त भूमि पर अपीलान्टस ही काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत विधिवत उद्घोषणा जारी की गई थी। उक्त उद्घोषणा की पालना में अपीलान्टस की ओर से धारा 8 के तहत आवंटन अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि अपीलान्टस की ओर से हस्ताक्षरित व सत्यापित है। उक्त आवेदन पत्र की जॉच राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों से करवाने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से अपीलान्टस के पक्ष में आवंटन किये जाने का आदेश दिनांक 06.06.2002 को पारित किया था, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस बिन्दु पर गौर नहीं किया। अपीलान्टस की ओर से आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को पंजिका में विधिवत दर्ज किये जाने के बाद आवंटन किया गया है। आवंटन नियमों के तहत अपीलान्टस की ओर से आवेदन किये जाने, पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक से जॉच कराने के बाद ही सर्वसम्मति से अपीलान्टस को उक्त आवंटन किया गया था तथा कब्जा संभलाया गया था एवं आवंटन के प्रमाण स्वरूप पट्टा भी जारी किया गया था, जो कि आवंटन संबंधी मूल पत्रावली में उपलब्ध है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि उक्त भूमि पर 40 वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। पुराने कब्जे के आधार पर 1973 में उक्त भूमि अपीलान्टस के पक्ष में तहसीलदार द्वारा नियमन की गई थी। इसका रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध है। आवंटन सलाहकार समिति की ओर से आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक होने व आवंटन योग्य होने के आधार पर ही अपीलान्टस के हक में आवंटित की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2012 के द्वारा अपीलान्टस के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय के बारे में दिनांक 30.11.2020 को किसान केडिट कार्ड बनबाने हेतु संबंधित पटवारी हल्का के पास जाने पर जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2012 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस के हक में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन को बहाल किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 18.01.2021 को अपील पेश की गई है, जो कि मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.11.2020 को पटवारी हल्का के पास किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जाने पर होने के बाद नकल हेतु आवेदन करने व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है व इसके विपरित कोई दस्तावेज हमारे समक्ष उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण रैस्पोडेन्टस की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पीलवानदी के खसरा नंबर 536/1 रकबा 5 बिस्वा के दिनांक 06.06.2002 को किये गये आवंटन के विरूद्ध कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा जारी की गई और न ही आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये तथा आवंटन नियमों की पालना भी नही की गई। रैस्पोडेन्ट ने स्वयं को ग्राम पीलवानदी मीना ढाणी के निवासी होने व अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण आवंटन में उसे प्राथमिकता नहीं दिये जाने के कारण अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध बताते हुए अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से अपीलान्ट अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्टस की ओर से अभिभाषक भी अदालत मातहत में उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 में अपीलान्टस/अप्रार्थीगण व रैस्पोडेन्टस/ प्रार्थीगण के अभिभाषकगण की ओर से बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देने के बाद यह माना है कि विवादग्रस्त भूमि को आवंटित किये जाने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं किये जाने, अपीलान्टस की ओर से आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अधिकांश कॉलमों की पूर्ति नहीं होने, आवंटन हेतु आवेदित खसरा नंबर में काटापीटी होने के कारण आवेदन पत्र आवंटन नियमों के अनुरूप नहीं होने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच किसी राजस्व कार्मिक पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने की रिपोर्ट नहीं होने, अपीलान्टस के पक्ष में आवेदन के साथ एक अतिरिक्त प्रपत्र में तस्दीक पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश व आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आदेश संलग्न करते हुए आलौच्य भूमि के आवंटन किये जाने की कार्यवाही की है, जो कि पूर्णरूपेण अवैधानिक व अनियमित मानी है, क्योंकि अप्रार्थी आवेदक को आवंटन उसके द्वारा आवेदित भूमि के आवंटन आवेदन पत्र पर नहीं कर पृथक से संलग्न किये गये प्रपत्र पर किया गया है। जिसे नियमानुसार उचित नहीं माना गया है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलान्टस/अप्रार्थी के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पक्ष में ग्राम पीलवानदी के आराजी खसरा नंबर 536/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 06.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है, परन्तु आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा संभलाए जाने, उसके पक्ष में पट्टा आदि जारी करने संबंधी कोई रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थी आवंटी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश किया गया है। अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के आवंटन नियम 15 की पालना नहीं किये जाने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने योग्य माना है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से वर्णित यह तथ्य की विवादित भूमि रैस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण के उपयोग में आ रही है, के संबंध में भी यह माना है कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में आने के कारण आवंटित किये जाने से झगढे की सूरत पैदा हो सकती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पीलवानदी की आराजी खसरा नंबर 536/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति की ओर से किए गए आवंटन को आवंटन नियमों के प्रावधान के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि विवादित आलौच्य आवंटित भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(4) में उल्लेखित प्रवर्ग की होने के कारण सार्वजनिक लोकहित में उपयोग हेतु आरक्षित रखने हेतु नियम 6 के अनुसार कार्यवाही की जावे। यदि आवंटन पश्चात राजस्व अभिलेख में किसी तरह का परिवर्तन/परिवर्धन हो गया हो तो आवंटित भूमि को पूर्ववत सिवायचक अभिलेखित किया जाए। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्टस की ओर से मौखिक बहस में तो यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्टस को आवंटित भूमि पर 40 वर्षों से पूर्वजों के समय से अपीलान्टस का कब्जाकाश्त चला आ रहा है, परन्तु इसके समर्थन में किसी तरह का कोई दस्तावेज न तो अदालत हाजा में और न ही अदालत मातहत में पेश किया गया है। इसके अलावा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलान्टस के हक में दिनांक 06.06.2002 को आवंटन किये जाने के बाद कब्जा संभलाए जाने के बारे में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और न ही इस तरह का कोई रिकार्ड पेश किया गया कि जिससे स्पष्ट होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलान्टस का वर्तमान में भी कब्जाकाश्त चला आ रहा हो। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्टस के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर